

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

29-316 पत्रावली पेश हुई/यकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~  
~~अपीलार्थी/रेसपोन्डेन्ट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष~~  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी ~~भयान पर है/अवकाश पर है/अन्य~~  
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-5-16  
को पेश हो।

रीडर

10/5/16 पत्रावली पेश हुई/यकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~  
~~अपीलार्थी/रेसपोन्डेन्ट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष~~  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी ~~भयान पर है/अवकाश पर है/अन्य~~  
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-7-16  
को पेश हो।

रीडर

2458-62

251111

23-516 पत्रावली पेशी में ली गई | पत्रावली दि 3-6-16  
को राजस्व लोक अदालत में कैम्प खानपुरखौदा  
में पेश हो। पक्षकारों को नोटिस जारी किया जावे।

(Signature)

तारीख 4

3-6-16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
कैम्प खानपुरखौदा पर पेश हुई। वादी लसाचन्द  
उपस्थित हैं। वादी ने राजीनामा पेश कर दफ्त  
आगे नहीं चलाना बताया है। अतः राजीनामा स्वीकार  
कर वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी  
जाती है। पत्रावली फैसलेशुमार होकर नम्बर से  
कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)

(सतीश कुमार शर्मा)

संवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(Signature)

(रवि कुमार शर्मा)

संवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(Signature)

(मुनिदेव यादव)

अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

नम्बर व त  
अहकाम जो  
हुकम की त  
में जारी ह

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खानपुर बडौदा

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

ताराचंद पुत्र जयनारायण मीना, निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र भैरो, मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी
2. गणेश पुत्र जयनारायण मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी
3. उम्मेद पुत्र जयनारायण मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी
4. सरकार जरिए लेंड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दाना घोषणा स्वाते ~~दस्तावेज~~, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा  
नुकदमा नं. - 70/2012

वादी की ओर से वादी ताराचंद की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नहीं की  
व्यवस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 03.06.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी)  
के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी  
जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर वादी ने वाद वापिस लेने का निवेदन  
दिया है। अतः वादी को वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 3.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी  
गई।



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

| वादी                            | रूपया | प्रतिवादी                 | रूपया |
|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 1 वादपत्र के लिए स्टाम्प        |       | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प |       |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       |                           |       |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      |       |                           |       |
| 4 _____ रूपये पर प्लीडर की फीस  |       |                           |       |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |       |                           |       |
| 6 कमिश्नर की फीस                |       |                           |       |
| 7 आदेशिका की तामील              |       |                           |       |
| जोड                             |       | जोड                       |       |